विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/942 दिनांक : 25-04-19

प्रति,

प्राचार्य,

डॉ.कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय,

11,आनंद कॉलोनी, रतलाम।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/REN40800586,दिनांक 30.10.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/ संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 29.01.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें "निर्णय लिया गया कि,निरीक्षण समिति से स्पष्ट अनुशसा प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये" उक्त निर्णय के अनुपालन में निरीक्षण समिति को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अका./सम्ब./2019/464,दिनांक 15.02.2019 के द्वारा महाविद्यालय की स्पष्ट अनुशंसा प्रदान करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया। समिति द्वारा दिनांक 20.02.2019 को अपनी स्पष्ट अनुशंसा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गई। वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित सकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 27.03.2019 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट अनुशसा को प्रस्तुत किया गया जिसे संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा सत्र 2018–19 एवं 2019–20 में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई मियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः महाविद्यलय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता एवं सम्बद्धता निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.एल.एल.बी.(ऑनर्स)–उत्तरवर्ती कक्षा(द्वितीय वर्ष) (पाच वर्षीय पाठ्यक्रम) (सत्र 2019–20)	60
02.	एल.एल.बी.(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)स्थाई सम्बद्धता प्राप्त	120
03.	एल.एल.एम.(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	30
04.	पी.जी.डी.एल.एल.(एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	30

शर्ते :–01. महाविद्यालय के परिसर एवं क्लास रूम में सी.सी.टी.वी. लगवाये जाये।

02. शिक्षक डायरी अनिवार्यतः रखी जाये।

03. दिव्यांग हेतु रेम्प की व्यवस्था की जाये।

04. टॉयलेट, बाथरूम एवं कॉमन रूम की सफाई व्यवस्था सुधारी जाये।

05. बी.सी.आई. के मापदण्डानुसार पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की जाये।

06. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये।

* **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**
* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा की सम्बद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**
* **बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम हेतु परिनियम क्रमांक 28 भाग 02 के बिन्दु 3(बी) के अनुसार एण्डोंमेंट राशी रू 30,000/–(अक्षरी रूपये तीस हजार मात्र) की एफ.डी.आर (कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के संयुक्त नाम से) बनवाकर पन्द्रह दिवस में मूल एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा कर रसीद की प्रति सम्बद्धता विभाग में जमा करावे।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 943 दिनांक : 25-04-19

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21,राउज़ ऐवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, नई दिल्ली।
4. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,शा.कला एवं विज्ञान (अग्रणी)महाविद्यालय,रतलाम।
6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. समन्वयक,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)